भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]

दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 2017/अग्रहायण 11, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 369

No. 443]

DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 2017/AGRAHAYANA 11, 1939

[N.C.T.D. No. 369

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली. 1 दिसम्बर. 2017

सं. फा. सचि./11/75/परि./1997/पार्ट-III/256.—जबिक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संबोधन करने के लिये नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 6 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या सचि./11/75/परि./1997/पार्ट-III/202 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, उस तिथि से दस दिन की अविध बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपित्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाषित किया गया था;

और जबिक उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 06 सितम्बर, 2017 से उपलब्ध कराई गई थीं; और जबिक उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपित एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) और धारा 212 की उपधारा (2) के साथ पिठत भारत राजपत्र असाधारण भाग—II खण्ड 3, उप—खण्ड (i) में प्रकाषित सड़क पिरवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संषोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

7013 DG/2017

नियमावली

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (प्रथम संषोधन), नियमावली, 2017 कहा जायेगा।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 3. नियम 97 के उप—िनयम (3) में ''उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में'' शब्दों के स्थान पर ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 01 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1374(ई) के उल्लंघन में'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेष से तथा उनके नाम पर, वर्षा जोषी, सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2017

No. F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/256.—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), by the Government of National Capital Territory of Delhi, vide Notification number F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/202, dated the 6th September, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of ten days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6^{th} September, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules are nil.

Now, therefore in pursuance of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways Notification number G.S.R 423(E), dated the 1st May, 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (i) read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

RULES

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Amendment of rule 97.** In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, sub-rule (2) of rule 97 shall be omitted.

3. In sub-rule (3) of rule 97, for the words "in contravention of above provisions" the words "in contravention of Government of India, Ministry of Road Transport and Highways Notification Number S.O 1374 (E) dated 01st May, 2017" shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VARSHA JOSHI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)